तथा संचालन व्यवस्था के लिए किस-किस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक प्रकाशन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या राजभाषा विभाग ने यह निर्णय किया है कि जैसा कि अंग्रेजी के प्रकाशनों के लिए व्यवस्था है राजभाषा प्रकाशनों के लिए भी ऐसी ही सुविधाओं तथा कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी चाहिये; और

(ग) उक्त निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है, प्राप्त होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी;

(ख) और (ग). जी हां, श्रीमन । विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अंग्रेजी, हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित करते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के सम्पादकों के पदनाम, वेतनमान आदि अंग्रेजी पत्रिकाओं के सम्पादकों के पदनाम, वेतनमान आदि से नीचे रखे जाते हैं । इसी प्रकार अंग्रेजी पत्रिकाओं के सम्पादकों की तुलना में भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के सम्पादकों की मिलने वाली सुविधायें भी बहुत कम हैं ।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 12 और 13 दिसम्बर, 1977 को हुई बैठक में इस विषय पर विचार किया गया और यह तय किया गया कि "विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जो अधिकारी तथा कर्मचारी काम करते हैं, उनके साथ समान प्रकार का अंग्रेजी में काम करने वाले व्यक्तियों के वेतनमान, पदनाम तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये और इस बारे में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये ।"

इस निर्णय के अनुपालन के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीय स्टाफ की स्थिति की जांच करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं के लिए उतना स्टाफ अवश्य रखा जाये जितना समकक्ष अंग्रेजी की पत्रिका के लिए रखा गया हैं और उनका वेतनमान भी समकक्ष अंग्रेजी पत्रिकाओं के स्टाफ के वेतनमान के बराबर किया जाए । उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि ऐसी ही व्यवस्था सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की तरफ से प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं के लिये भी कराई जाए ।

स्टाफ आर्टिस्टों सम्बन्धी चयन समिति में संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों की पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति

9001. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग सम्बन्धी चयन समिति की बैठकों में संसदीय सलाहकार समिति के एक सदस्य को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का है;

(ख) क्या पिछले कुछ समय में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर (हिन्दी) और दिल्ली कार्यालयों के लिए प्रोड्यूसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अनेक दोष पाये गये थे;

(ग) क्या इन नियक्तियों के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन साक्षात्कारों को रद्द करने और फिर उचित ढंग से नई नियुक्तियां करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगबीर सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग में उप मुख्य प्रोड्यूसर (हिन्दी स्पोकनवर्ड) और प्रोड्यूसर के पदों के चयन के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई थी और चयनों की प्रक्रिया में कोई दोष नहीं पाये गये थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Statutory Force to Rules regarding Reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

9002. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any proposal for bringing a Bill seeking statutory force to the existing rules regarding reservation in recruitment and promotion for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is under the consideration of Government; and

(b) if not, the binding force of these rules and orders made by Government as against the autonomous bodies and the public sector undertakings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) No, Sir.

(b) Ministries/Departments have been asked to issue instructions to the autonomous bodies under them to follow the scheme of reservation, as applicable to posts under Central Government. As regards public sector undertakings, the Bureau of Public Enterprises has arranged to have Presidential directives issued through Ministries/Departments concerned to the public sector undertakings for making reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their services on the lines of the reservation in services under Central Government. These instructions/directives are binding on the autonomous bodies and public sector undertakings concerned.

Further, instructions have also been issued to Ministries/Departments that in the case of voluntary agencies receiving substantial grants-in-aid from them, they should include a suitable clause in the terms and conditions under which such voluntary agencies are given grants-in-aid, to provide that the main features of the scheme of reservations should be followed by these agencies.

Supply of Clothing/Equipments to Armed Forces by Ordnance Depot, Calcutta

9003. SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ordnance depot Calcutta-27 is for supplying clothing/equipments to Armed Forces and Laboratory Equipment for Army Hospitals;

(b) if so, is it also within the knowledge of Government that local purchases committee, a creation & directly under the control of the Officer Commanding & Dy. Commanding, made